राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या –75/2014/जयपुर

मैसर्स खण्डाका के.पी.पी.जैन ज्वैलर्स,
दुकान नं.–217, जौहरी बाजार, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–षष्ठम, वृत्त–एच, जयपुर । .....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर.सी.अग्रवाल,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03.04.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी ने यह परिशोधन प्रार्थना पत्र माननीय कर बोर्ड के अपील संख्या 01/2014/जयपुर में पारित आदेश दिनांक 09.06.2014 के विरूद्व अधिनियम की धारा 33 के तहत पेश किया गया है। माननीय एकलपीठ द्वारा उक्त आदेश से उपायुक्त, (प्रशासन–द्वितीय) वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के आदेश दिनांक **26.11.2012** के विरूद्व प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया गया था, जिसे इस प्रार्थना पत्र के जरिए विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत्त–जी, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24(4) के तहत अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष **2009–10 का** एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनाक **07.02.2012,** पारित कर, मांग राशि रू0 **1,49,200/–** सृजित की गयी थी, उक्त आदेश के विरूद्व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत् आवेदन पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे "अपीलीय अधिकारी" द्वारा आदेश दिनांक **26.11.2012** से अस्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा इस आदेश के विरूद्व माननीय कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील, आदेश दिनशंक 09.06.2014 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिस जारी किये बिना ही घोषित संव्यवहार में वृद्धि कर, करारोपण कर, एकपक्षीय निर्धारण आदेश पारित किया गया, जिसे अपीलीय अधिकारी व माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा भी स्वीकार कर

लगातार.....2.

लिया गया, जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत (2014) 9 RGSTR 261 (RTB), 2015 (24) वैट रिपोर्टर 47 (SC) को प्रोद्धरित कर, **न्याय हित में सुनवायी का अवसर प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी** ताकि इस संबंध में सुनवायी की जाकर, विधिसम्मत एवम् सही निर्धारण आदेश पारित किये जा सके। तद्नुसार, माननीय कर बोर्ड के व अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना कर, प्रकरण को संबंधित निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया गया ।

5. विभाग की ओर से उप—राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि के निर्धारण हेतु विधिक रूप से अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत **नोटिस जारी किये गये थे।** कथन किया कि इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी से जरिये पत्रांक 2227 दिनांक 07.11.2012 के प्रत्यर्थी से जांच रिपोर्ट चाही गयी थी जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 21.1.2012 को अपीलीय अधिकारी को प्रेषित की गयी । कथन किया कि उक्त जांच रिपोर्ट व रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध तामिलशुदा नोटिस के आधार पर उचित एवम् विधिक रूप से निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित एकपक्षीय निर्धारण आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है । अतः उक्त तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनज़र ही "अपीलीय अधिकारी" द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया था तथा इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय कर बोर्ड द्वारा भी अपील को अस्वीकार किया गया जो कि पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। अतः प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।

7 अपीलार्थी व्यवहारी की अपील संख्या 01/2014/जयपुर में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2014 में अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दुओं पर विचार करते हुए विस्तृत विवेचन के साथ सुविचारित निर्णय पारित किया गया है तथा इसमें रिकार्ड पर परिलक्षित प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी व्यवहारी द्वारा चाहा गया संशोधन अधिनियम की धारा 33 की परिधि में नहीं आने के कारण, प्रार्थी व्यवहारी का परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 33 की परिधि पर न्यायिक दृष्टान्त **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692/2011 में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253]** में गहन विचार कर यह अवधारित किया गया है कि पूर्व में पारित सुविचारित निर्णय अधिनियम की धारा 33 के

लगातार.....3.

अन्तर्गत परिशोधन की परिधि में नहीं आता है तथा धारा 33 पूर्व में पारित निर्णयों को पुनर्विलोकन करने का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है।

8. यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायकि दृष्टांत अपीलार्थी को कोई सहायता प्रदान नहीं करते है।

9 परिणामतः, अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

10 निर्णय सुनाया गया।

03/04/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य